न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 340/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/547

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.भंवरीदेवी पत्नि मीठालाल 2.मिश्रीमल पुत्र मीठालाल जाति प्रजापत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री करणसिंह सोलंकी व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 10/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1536/771,1539/771,1538/771 व 1540/771 कुल रकबा 70 बीघा भूमि अवस्थित है। जबकि लटढा नक्शा ट्रेस में जमाबंदी मुताबिक तरमीम नहीं होकर इसके विपरीत रकबा 60.05 बीघा अशुद्व तरमीम कर रखी है। इस प्रकार प्रार्थीगण के हितो के साथ कुठराघात किया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पर विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार लटढा नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1536/771,1539/771,1538/771 व 1540/771 कुल रकबा 70 बीधा भूमि अवस्थित है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी जमाबंदी रकबे मुताबिक तरमीम नहीं होकर कम रकबा तरमीम की गई। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण की कम रकबा भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है,जिसकी पृथक से अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा की जावेगी। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 771 से विभवक्त होकर बनें खसरा संख्या 1549/771 भूमि के संबध में पृथक से तरमीम दुरूस्ती करवाने का आवेदन पेश कर रखा था,जो उभयपक्ष मौका कब्जा स्थिति मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने पर सहमत हुए है। अंत हस्तगत प्रकरण में भी विवादित आराजी की मौका कब्जा स्थिति मुताबिक तरमीम दुरूस्ती की जाती है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है।

4. हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम मूगाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 कुल क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी संख्या 01 की खातेदारी में अवस्थित है तथा खसरा संख्या 1538/771 व 1540/771 कुल क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में अवस्थित है,जो कि विवादित आराजी की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो कि छायाप्रति मौका फर्द दिनांक 06.01.2024 के अवलोकन से प्रतीत होता है। चूंकि उभयपक्ष अधिवक्ता मौका कब्जा काश्त स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने पर सहमत है। ऐसी सूरत में उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए तरमीम दुरूस्ती किए जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस कारण विदयमान तरमीम को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्वं अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूंगड़ा तहसील पचपदरा कीं खसरा संख्या 1536/771,1538/771,1539/771 व 1540/771 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि आप स्वंय विवादित आराज़ी का मौका मुआयना करते हुए विवादित आराजी की मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10/03/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 10/3/2025
बालोतरा